

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, पॉचवी मंजिल, भोपाल

क्रमांक 224/30/आउशि/अनु.ब./19

भोपाल, दिनांक 21/02/2019


प्रति,

प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी
शासकीय अग्रणी महाविद्यालय
छतरपुर।

विषय:- अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों को स्वीकृत अनुदान राशि में से अनुपयोगी राशि के समर्पण विषयक।

—00—


विषयांतर्गत लेख है कि वित्त विभाग के आई.एफ.एम.आई.एस. बजट मॉड्यूल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्वामी प्रणवानंद महावि. छतरपुर में राशि रूपये 2,03,64,272/- पूरे सत्र में आहरित न किये जाने के कारण लंबित है। मार्च माह के प्रथम सप्ताह में आचार संहिता प्रभावी होना संभावित होने से उक्त राशि के लेप्स होने की पूर्ण संभावना होने से उक्त राशि तत्काल समर्पण करने का कष्ट करें।


(डॉ० सुषमा दुबे)
संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक 225/30/आउशि/अनु.ब./19
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 07/02/2019

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों की ओर तत्काल पालनार्थ।
2. समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया आपके जिले के महाविद्यालयों को स्वीकृत की जा चुकी अनुदान राशि में से अनुपयोगी राशि को तत्काल समर्पण करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।


संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश